214

संख्याः —— /XXXVI(1)/2013–75/2007 टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री तन्मय अग्रवाल,
अधिवक्ता, पता–A5, सेक्टर 14,
नोयडा– 201301

2. श्री राहुल वर्मा,
अधिवक्ता, फ्लैट नं0–49, हिमालय
अपार्टमेन्ट्स, निकट बलको मार्किट,
पाटपरगंज सोसाइटी, आई0पी0 एक्सटेन्शन,
नई दिल्ली–110092

3. श्री पंकज भाटिया,
अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

4. श्री मदन गैरा,
अधिवक्ता, 10 बीरबल रोड़, जंगपुरा
एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014

5. श्री कौशल पति गौतम,
अधिवक्ता, 321, लायर्स चैम्बर्स, सी0के0
दफतरी ब्लॉक, मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

6. श्री भारत जगत जोशी,
अधिवक्ता, डी0–11/195, काका नगर,
नई दिल्ली–110003

7. सुश्री नीलम सिंह,
अधिवक्ता, 20–ए, लायर्स चैम्बर्स, मा0
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली–110001

8. श्री मुकेश वर्मा,
अधिवक्ता, 50–लायर्स चैम्बर्स, मा0 उच्चतम
न्यायालय, नई दिल्ली–110001

9. श्री विश्वजीत सिंह,
अधिवक्ता, 112–एम0सी0 शीतलवड चैम्बर्स,
भगवानदास रोड, मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

10. श्री प्रतीक द्विवेदी,
अधिवक्ता, चैम्बर नं0–53,
ओल्ड लायर्स चैम्बर्स, मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

11. श्री अमित कुमार सिंह,
अधिवक्ता, 311–रेगलिया हाईट्स
शिप्रा सन सिटी, नोयडा।

12. श्री जे0एस0 रावत,
अधिवक्ता, 22–डी0, ब्लॉक–सी0–सी0,
शालीमार बाग, दिल्ली–110088

13. श्री कार्तिकेय हरि गुप्ता,
अधिवक्ता, ई0–20, ग्राउण्ड फ्लोर,
लाजपत नगर–III, नई दिल्ली

14. श्री विवेक नारायण शर्मा,
अधिवक्ता, डी0–120, एस0एफ0, ईस्ट
ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065

15. श्री आतिफ सुहरावरदी,
अधिवक्ता, सी0–38, सेक्टर–14, गौतम
बुद्ध नगर, नोयडा

16. सुश्री आशुतोष शर्मा,
अधिवक्ता, सी0–210, अजनारा प्राईड,
नियर मेवर लॉ इन्स्टीटयूट, सेक्टर–4सी0,
वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ0प्र0

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2013

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–154/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 दिनांक 20–06–2012, पत्र सं0–191/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 दिनांक 11.07.2012 तथा पत्र सं0– 267(II)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 दिनांक 03.12.2012 के द्वारा आपको मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम आदेशों तक स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आपको तत्काल प्रभाव से स्थायी अधिवक्ता के पद के स्थान पर **पैनल अधिवक्ता** के पद पर आबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

क्रमश.....2

2– उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को शासन द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है और आप भी इस आबन्धन को समाप्त कर सकते है।

3– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–123/XXXVI(1)/2013–43–एक(1)/03 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः 132 (1)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।
4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– ईरला चैक अनुभाग/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव